



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062022-236677
CG-DL-E-17062022-236677

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2656]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2022/ज्येष्ठ 27, 1944

No. 2656]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2022/JYAISHTHA 27, 1944

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2022

का.आ. 2789(अ).—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार में कोयला मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्यांक का.आ. 28, तारीख 06 जनवरी, 2022, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 08 जनवरी, 2022 में प्रकाशित उस अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 23.780 एकड़ (लगभग) या 9.624 हेक्टर (लगभग) है, कोयले का पूर्वक्षेपण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राप्त है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे संलग्न अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट उक्त भूमि 23.780 एकड़ (लगभग) या 9.624 हेक्टर (लगभग) माप की भूमि के सभी अधिकार का अर्जन करने की अपने आशय की सूचना देती है;

टिप्पण 1: इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या एमसीएल/एसए/एसबीओसीपी/जीपी (डब्ल्यू)-एलओ/7(1)/2022/18, तारीख 12 फरवरी, 2022 का निरीक्षण कलेक्टर, जिला अंगुल, (ओडिशा) - 759122 के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700001 के कार्यालय में या निदेशक (कार्मिक), महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, डाकघर जागृति विहार, बुर्ला, जिला सम्बलपुर - 768020, ओडिशा के कार्यालय में किया जा सकता है।

टिप्पण : 2 उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित उपबंध है: -

"8. अर्जन की बाबत आपत्तियां.-- (1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में, जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के जारी किए जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के अंतर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी, की कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केंद्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने की पश्चात जो वह आवश्यक समझता है, वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्टें केंद्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते हैं।

टिप्पण: 3. केंद्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता 700001-को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन, भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड-(ii), तारीख 22 जुलाई, 1995 में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2015, तारीख 10 जुलाई, 1995 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

अनुसूची

गोपाल प्रसाद (पश्चिम) कोल ब्लॉक

जिला-अंगुल, राज्य -ओडिशा

[रेखांक संख्या एमसीएल/एसए/एसबीओसीपी/जीपी(डब्ल्यू)-एलओ/7(1)/2022/18, तारीख 12 फरवरी, 2022]

सभी अधिकार :

सुभद्रा ओपन कास्ट परियोजना (प्रतिवर्ष 25 मिलियन टन) के लिए उत्कल-ए की अधिसूचित सीमा के अधीन पूर्व में आने वाले बचे हुए प्लॉट गोपाल प्रसाद (पश्चिम) प्लॉट क्षेत्र कोल ब्लॉक के भीतर और प्लॉट क्षेत्र संबंधी प्रस्तावित क्षेत्र की भूमि के व्यौरे।

क्रम सं.	ग्राम का नाम	कोयलाब्लॉक का नाम	ग्राम का संख्यांक	थाना	तहसील	जिला	अर्जन किए जाने वाला क्षेत्र (एकड़ में)	टिप्पणी
1.	छोटा-बेरेनी	गोपाल प्रसाद (पश्चिम)	172	निशा	छेंदीपदा	अंगुल	23.780	पूर्ण
कुल :							23.780	

कुल क्षेत्र: 23.780 एकड़ (लगभग) या 9.624 हेक्टर (लगभग)

ग्राम छोटाबेरेनी में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

84/382, 84/384(भाग), 84/385(भाग), 84/386(भाग), 84/386/482, 84/386/482/510, 84/386/483, 84/386/483/511, 84/391, 84/391/480, 84/391/480/762, 84/392, 84/393, 84/396(भाग), 85/500 और 85/509(भाग).

सीमा विवरण:

छोटाबेरेनी ग्राम के सभी बचे हुए प्लॉट उत्कल- 'ए' कोयला ब्लॉक की पूर्व अधिसूचित सीमा के भीतर हैं, वर्तमान में यह गोपाल प्रसाद (पश्चिम) कोयला ब्लॉक अर्थात् क-ख-ग-घ-ङ-च-छ-ज-झ-ञ-ट-ठ-क की सीमा के भीतर आता है।

रेखा क-ख: रेखा बिन्दु 'क' से शुरू होती है जो ग्राम छोटाबेरेनी की प्लॉट संख्या 84 पर स्थित है। इसके बाद यह ग्राम छोटाबेरेनी के प्लॉट संख्या 84, 389, 338, 150, 123 के साथ दक्षिण दिशा की ओर बढ़ती है। इसके बाद प्लॉट संख्या 2325, 2365, 2368 ग्राम कौंसिदिप का, फिर ग्राम कंकरेई के प्लॉट संख्या 736, 1688, 1748, 1837, 2441, 2067, 2077 और प्लॉट संख्या 2065 तक, जोकि बिंदु 'ख' पर स्थित है।

रेखा ख-ग: रेखा ग्राम कंकरेई के प्लॉट संख्या पर स्थित 2065 बिन्दु 'ख' से प्रारंभ होती है, फिर यह ग्राम कंकरेई के प्लॉट संख्या 2081 और ग्राम बालीचंद्रपुर के 215, 363 तक की पूर्व दिशा की ओर से चलती है। यह बिन्दु 'ग' के ग्राम बालीचंद्रपुर के प्लॉट संख्या 853 पर स्थित है।

रेखा ग-घ: रेखा ग्राम बालीचंद्रपुर के प्लॉट संख्या 853 पर स्थित बिन्दु 'ग' से प्रारंभ होती है और यह बालीचंद्रपुर के प्लॉट संख्या 363, 155, 103 के साथ ही ग्राम ग्राम पिरखमन के प्लॉट संख्या 824 तक उत्तर दिशा की ओर बढ़ती है। यह बिन्दु 'घ' के ग्राम पिरखमन के प्लॉट संख्या 824 पर स्थित है।

रेखा घ-ङ: रेखा बिन्दु से प्रारंभ होती है जोकि पिरखमन के प्लॉट संख्या 681, 398, 267, 145 और 175 के साथ उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ती है और ग्राम कंकरेई के प्लॉट संख्या 1089 से ग्राम भालुगड़िया के प्लॉट संख्या 2049 तक है। यह बिन्दु 'ङ' के ग्राम भालुगड़िया के प्लॉट संख्या 2049 पर स्थित है।

रेखा ङ-च: रेखा बिन्दु 'ङ' से प्रारंभ होती है और सिंगड़ा जोर नाला के उत्तर किनारे तक ग्राम भालुगड़िया के प्लॉट संख्या 2049, 2028, 1841, 630, 802, 221, 479, 378, 283, 286 के साथ उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बिन्दु 'च' तक मिलती है।

रेखा च-छ: रेखा बिन्दु 'च' से प्रारंभ होती है और सिंगड़ा जोर नाला के साथ पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती है जो बिन्दु 'छ' तक मिलती है।

रेखा छ-ज: रेखा बिन्दु 'छ' से प्रारंभ होती है और सिंगड़ा जोर नाला के साथ पश्चिम दिशा की ओर बिन्दु 'ज' तक मिलती है।

रेखा ज-झ: रेखा बिन्दु 'ज' से प्रारंभ होती है, जो ग्राम भालुगड़िया और सिंगड़ा जोर नाला के प्लॉट संख्या 1785 के साथ पश्चिम दिशा की ओर बिन्दु 'झ' तक मिलती है।

रेखा झ - ज : रेखा बिन्दु 'झ' से प्रारंभ होकर ग्राम कुमुंडा के प्लॉट संख्या 992,956, 967,974 और ग्राम कंकरेई के प्लॉट संख्या 4 और 2 के साथ पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती है और ग्राम कंकरेई के प्लॉट संख्या 392 तक जयपुर आरक्षित वन और प्लॉट संख्या 16 को पार करते हुए ग्राम छोटाबेरेनी के प्लॉट संख्या 392 तक, बिन्दु 'ज' से मिलती है।

रेखा ज-ट: रेखा ग्राम छोटाबेरेनी के प्लॉट संख्या के ऊपर स्थित 392 स्थित बिन्दु 'ज' से प्रारंभ होती है और ग्राम छोटाबेरेनी के प्लॉट संख्या 632 और 631 तक उत्तर दिशा की ओर प्लॉट संख्या 383 की ओर बढ़ते हुए बिन्दु 'ट' पर मिलती है।

रेखा ट-ठ: रेखा ग्राम छोटाबेरेनी के प्लॉट संख्या 383 के ऊपर स्थित बिन्दु 'ट' से प्रारंभ होती है और ग्राम की सीमा के किनारे ग्राम छोटाबेरेनी के प्लॉट संख्या 84 तक सिंगड़ा जोर नाला के किनारे उत्तर दिशा की ओर होते हुए बिन्दु 'ठ' पर मिलती है।

रेखा ठ-क: रेखा ग्राम बिन्दु 'ठ' से प्रारंभ होती है जो ग्राम छोटाबेरेनी की सीमा के किनारे से होते हुए प्लॉट संख्या 84 पर स्थित है, जो बिन्दु 'क' तक ग्राम छोटाबेरेनी की सीमा के किनारे पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती है।

[फा. सं. 43015/16/2021-एलएण्डआईआर]

भवानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th June, 2022

S.O. 2789(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 28, dated the 6th January, 2022, issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 8th January, 2022, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 23.780 acres (approximately) or 9.624 hectares (approximately) of the lands in the locality specified in the Schedule annexed to that notification;

And, whereas, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the lands measuring 23.780 acres (approximately) or 9.624 hectares (approximately) and all rights in or over the said lands as specified in the Schedule appended hereto;

Note 1 : The plan bearing number MCL/SA/SBOCP/GP(W)-LO/7(1)/2022/18, dated the 12th February, 2022, the area covered by this notification may be inspected at the office of the Collector, District Angul (Odisha)- 759122 or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkatta-700001 or at the office of the Director (Personnel), Mahanadi Coalfields Limited, Post Office Jagruti Vihar, Burla, District Sambalpur-768020, Odisha.

Note 2 : Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the said Act, which provides as follows:-

"8. Objection to acquisition.-(1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or any rights in or over such land.

Explanation.- It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either makes a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act."

Note 3 : The Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkatta- 700001 has been appointed by the Central Government as the Competent Authority under section 3 of the said Act, *vide* notification number S.O. 2015, dated the 10th July, 1995 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd July, 1995.

SCHEDULE**Gopalprasad (West) Coal Block****District- Angul, State- Odisha****[Plan bearing number MCL/SA/SBOCP/GP(W)-LO/7(1)/2022/18, dated the 12th February, 2022]**

Land details of proposed area towards **left over plots** and plot areas within Gopalprasad (West) coal block falling earlier under notified boundary of Utkal-A for Subhadra Open Cast Project (25 million tonne per year).

Sl.No.	Name of village	Name of the coal block	Village number	Thana	Tahasil	District	Area to be acquired (in acres)	Remark
1.	Chhotabereni	Gopal Prasad (West)	172	Nisha	Chhendipada	Angul	23.780	Full
Total :							23.780	

Tota area : 23.780 acres (approximately) or 9.624 hectares (approximately)

Plot numbers to be acquired in village Chhotabereni :

84/382, 84/384(P), 84/385(P), 84/386(P), 84/386/482, 84/386/482/510, 84/386/483, 84/386/483/511, 84/391, 84/391/480, 84/391/480/762, 84/392, 84/393, 84/396(P), 85/500 and 85/509(P).

Boundary description:

All the left over plots and plot areas of village Chhotabereni are within the earlier notified boundary of Utkal-A coal block, presently comes within the block boundary of Gopalprasad (West) coal block i.e A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-A.

Line A-B: The line starts from point 'A', which is situated at plot number- 84 of village Chhotabereni. Then it moves towards south direction along the plot numbers 84, 389, 338, 150 and 123 of village Chhotabereni, then plot numbers 2325, 2365 and 2368 of village Kaunsidhipa, then plot numbers 736, 1688, 1748, 1837, 2441, 2067, 2096, 2077 and up to the plot number 2065 of village Kankarei, where point 'B' is situated.

Line B-C: The line starts from point 'B', which is situated on the plot number 2065 of the village Kankarei, then it runs towards east direction along the plot number 2081 of village Kankarei and plot numbers 215, 363 and up to plot number 853 of village Balichandrapur. The point 'C' is situated over the plot number 853 of the village Balichandrapur.

Line C-D: The line starts from point 'C', which is situated on the plot number 853 of the village Balichandrapur and it moves towards the north direction along the plot numbers 363, 155 and 103 of Balichandrapur up to plot number 824 of village Pirakhaman. The point 'D' is situated over the plot number 824 of village Pirakhaman.

Line D-E: The line starts from point 'D' and moves towards north-east direction along the plot numbers 681, 398, 267, 145 and 175 of village Pirakhaman and plot number 1089 of village Kankarei up to the plot number 2049 of village Bhalugadia. The point 'E' is situated over the plot number 2049 of village Bhalugadia.

Line E-F: The line starts from point 'E' and moves towards north-east direction along the plot numbers 2049, 2028, 1841, 630, 802, 221, 479, 378, 283 and 286 of village Bhalugadia up to point 'F' at the north bank of Singada Jore Nallah.

Line F-G: The line starts from point 'F' and moves towards west direction along the Singada Jore Nallah up to point 'G'.

Line G-H: The line starts from point 'G' and moves towards west direction along the Singada Jore Nallah up to point 'H'.

Line H-I: The line starts from point 'H' and moves towards west direction along the plot number 1785 of village Bhalugadia and Singada Jore Nallah up to point 'I'.

Line I-J: The line starts from point 'I' and moves towards west direction along the plot numbers 992, 956, 967 and 974 of village Kumunda and plot numbers 4 and 2 of village Kankarei and crossing the Jaipur reserve forest and plot number 16 of village Kankarei up to point 'J' at plot number 392 of village Chhotabereni.

Line J-K: The line starts from point 'J', which is situated over the plot number 392 of village Chhotabereni and moves towards north direction along the plot numbers 632 and 631 up to point 'K' at plot number 383 of village Chhotabereni.

Line K-L: The line starts from the point 'K', which is situated over the plot number 383 of village Chhotabereni and runs towards north direction along the bank of Singada Jore Nallah up to point 'L' at the plot number 84 of village Chhotabereni across the edge of village boundary.

Line L-A: The line starts from the point 'L', which is situated on the plot number 84 in the edge of village boundary of Chhotabereni, moves towards west direction across the edge of village boundary of Chhotabereni up to point 'A'.

[F. No. 43015/16/2021-LA&IR]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.